भारतीय जनता पार्टी

(केन्द्रीय कार्यालय)
11, अशोक रोड़, नई दिल्ली–01
फोन नम्बर–011–23005700, फैक्स–011.23005787

28 जनवरी, 2013

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक ने आज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती के भाई की कंपनियों में हजारों करोड़ रुपये के वित्तीय लेन–देन को उजागर किया है।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री के भाई श्री आनंद कुमार की सात कंपनियों को 2007–12 के बीच 5 वर्ष में करीब 757 करोड़ रुपये मिले जब सत्ता मायावती के हाथ में थी।

2011 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने प्राधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी थी कि श्री आनंद कुमार ने 76 कंपनियां चालू कर रखी हैं और अवैध कामों के लिए रखे हुए काले धन को सफेद बनाकर आय से अधिक संपत्ति बना रहे हैं। भाजपा का आरोप था कि श्री कुमार की इन कंपनियों ने टैक्स हैवन में शामिल कंपनियों में निवेश किया है। यह भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री के साथ उनके संबंधों का गलत और गैर कानूनी तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। इकनॉमिक टाइम्स में आज उजागर इस घटना ने भाजपा के आरोपों की पुष्टि कर दी है। श्री कुमार की कंपनियों में गोपनीय और अज्ञात सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ और झूठी कंपनियों की बढ़ी हुई दरों पर शेयरों की बिक्री सहित ऐसी नगदी का प्रवेश हुआ है जो अभी रहस्य बनी हुई है। श्री कुमार की घाटे में चल रही कंपनी द्वारा तीसरे पक्ष से अनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए एडवांस लेने की वाड्रा स्टाइल की प्रक्रिया अपनाई गई।

श्री आनंद कुमार की कंपनियों द्वारा प्राप्त इस धनराशि का स्रोत क्या है? एक लाख रुपये के निवेश पर जो भारी लाभांश स्वीकार किया गया, वह कैसे और क्यों प्राप्त किया गया??

बसपा प्रमुख के भाई को अनेक सवालों के जवाब देने होंगे। बसपा प्रमुख भ्रष्ट कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की मजबूत सहयोगी है। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई पर बहस के दौरान कुमारी मायावाती का दोगलापन पूरे देश ने देखा है।

- भारतीय जनता पार्टी कंपनियों पर लगे इन आरोपों की पूरी जांच की मांग करती है जो पूरे देश में हैं।
- क्या वित्त मंत्रालय इन कंपनियों को नोटिस जारी करेगा?
- क्या बसपा प्रमुख के भाई की इन कंपनियों के कार्यक्षेत्र की जांच कराई जाएगी?
- क्या कंपनी मामलों का मंत्रालय इन कंपनियों के दस्तावेजों की तलाशी लेगा और उन्हें जब्त करेगा?

II. भारत के किसानों के नाम पर एक और घोटाला प्रकाश में आया है। सीएजी को धन्यवाद।

किसानों के कर्ज माफ करने की 52,280 रुपये की योजना की घोषणा तत्कालीन यूपीए सरकार ने फरवरी 2008 में की थी। सीएजी ने अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच कामकाज का लेखा परीक्षण कराया। इसमें 25 राज्यों के 90,576 किसानों को शामिल किया गया जिनके खाते 92 जिलों में बैंकों की 715 शाखाओं में थे। सीएजी की रिपोर्ट, जैसाकि मीडिया ने उजागर किया है, से पता चलता है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए किसी तरह की निगरानी व्यवस्था नहीं की गई। राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहीं। वित्त मंत्रालय, आरबीआई और नाबार्ड ने इस मामले में अपने बीच निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं रखी। इस उद्देश्य के लिए आयोजित किसी भी बैठक का लिखित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है जैसाकि मीडिया में जानकारी दी गई है।

सबसे ज्यादा चिंताजनक बात ये है कि पिछले पांच वर्ष में ''सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई कोशिश नहीं की कि क्या करदाताओं के 52,000 करोड़ रुपये का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं।''

बड़ी गड़बड़ी को भांपते हुए, वित्त मंत्री ने 11 जनवरी 2013 को आरबीआई और नाबार्ड को निर्देश दिया कि वे पथभ्रष्ट अधिकारियों और बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करें। उसने अयोग्य किसानों से धन की वसूली की भी मांग की।

- भाजपा मांग करती है कि शेष 3.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों का लेखा परीक्षण कराया जाए जिन्हें कर्ज माफी से लाभ पहुंचा है।

दो वित्त मंत्रियों–श्री पी. चिदम्बरम ने 2009 के चुनाव को ध्यान में रखकर रिण माफी योजना को तैयार किया और उसका प्रस्ताव रखा और श्री प्रणब मुखर्जी ने बिना सोचे–समझे इस योजना को लागू कर दिया।

इसका लाभ नियत और सुपात्र लाभान्वितों तक नहीं पहुंचा। अब सीएजी की रिपोर्ट ने यह तथ्य स्थापित किया है।

- भाजपा मांग करती है कि यूपीए सरकार दो वित्त मंत्रियों–श्री पी. चिदम्बरम और श्री प्रणब मुखर्जी की भूमिका और उनकी जिम्मेदारी के बारे में जानकारी दे। सरकार इस योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इनकी लापरवाही और निष्क्रियता के बारे में स्पष्टीकरण दे।

(ओ.पी.कोहली)

मुख्यालय प्रभारी